

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील संख्या:-691/20 (जीसीएमएस नं. 2020/00513)

01. सुभाष पुत्र श्री लादूराम, जाति कुमावत, निवासी ग्राम मोहब्बतसर,
तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू।

—अपीलान्ट,

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ, जेला झुन्झुनू।

—रेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक 19.01.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2019 के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ यह कहते हुये प्रस्तुत की कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम मोहब्बतसर तहसील नवलगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 441 रकबा 0.017 हैक्टर में अतिचारी नहीं है बल्कि उपरोक्त वर्णित जमीन को क्रय किया है एवं उनका विधिक कब्जा है, धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है परन्तु उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 441 रकबा 3.55 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम खातेदारी मंदिर माफी श्री राधा बल्लभजी के नाम से दर्ज है, उपरोक्त वर्णित जमीन राजकीय भूमि नहीं है, ना ही अपीलान्ट ने किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से परे जाकर विधि विधान के विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आदेश दिनांक 27.11.2019 को पारित करने से पूर्व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, सबूत, साक्ष्य आदि का रिकार्ड पर नहीं लेकर एवं बिना उनका अवलोकन किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि विधान एवं कानूनी तथ्यों के विरुद्ध है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन भूमि पर अपना हक स्वामित्व होने बाबत बिजली का बिल/रसीदें आदि पेश किये थे जिनसे भी अपीलान्ट के हक व अधिकार उक्त भूमि पर साबित होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलान्त का अपीलाधीन भूमि पर पिछले कई वर्षों से कब्जा चला आ रहा है और अपीलान्त ने उक्त भूमि गणपत राम के पुत्रों से जो रिकार्डेड काबिज काश्तकार व खातेदार रहे हैं से क्रय की थी, उक्त समस्त तथ्य अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बखूबी स्पष्ट किये गये थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के उक्त तथ्यों की ओर ध्यान नहीं देकर केवल मात्र अपीलान्त को हैरान परेशान करने एव आर्थिक रूप से परेशान करने के उद्देश्य से दोनों अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किये हैं, वह विधि विधान के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलान्त को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी, ना ही वकील साहब ने अवगत कराया, अभी हाल ही में दिनांक 30.01.2020 को तहसील के कर्मचारी मौके पर आकर अपीलान्त को बेदखल करने पर उतारू हो गये जिस पर अपीलान्त ने अपील विचाराधीन होने की बात कही तो उनके द्वारा अपीलान्त की अपील खारिज होने व अपीलाधीन निर्णय पारित करने की जानकारी दी, जिस पर अपीलान्त द्वारा अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु दिनांक 31.01.2020 को आवेदन किया जिसकी नकल तैयार होकर दिनांक 10.02.2020 को अपीलान्त को प्राप्त हुई, जिस पर जानकारी से अन्दर मियाद उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसे अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपीलान्त का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनु द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.11.2019 एवं तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनु द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी मंदिर माफी श्री राधा वल्लभजी के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा राज्य सरकार द्वारा मंदिर मूर्ति को नाबालिंग माना गया है जिस कारण से माफी मंदिर के नाम दर्ज भूमि किसी भी व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। अपीलान्त वादग्रस्त आराजी पर बिना किसी अधिकार के अतिक्रमण कर रखा है जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा किये जाने पर तहसीलदार नवलगढ ने प्रकरण में विधिवत कार्यवाही करते हुए अपीलान्त को अतिक्रमी मानते हुए अपीलान्त पर जुर्माना लगाते हुए उसे भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिनांक 25.07.2019 को पारित किया गये है जिसके विरुद्ध अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनु के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण कर विधिवत परीक्षण करने के उपरान्त व अपीलान्त को सुनवाई देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं की गई। अतः अपील अपीलान्त एडमिशन की स्टेज पर ही खारिज फरमायी जावे

(3)

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनकों ऐसी नजीरें हैं जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रुख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलान्ट के अधिवक्ता का दौराने बहस मूल रूप से कथन रहा है कि वादग्रस्त आराजी को अपीलान्ट द्वारा क्रय किया गया है जिस पर वह मकानात बनाकर एवं बिजली का कनेक्शन इत्यादि लेकर काबिज है किन्तु राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी मंदिर माफी श्री राधा बल्लभजी के नाम दर्ज है तथा मंदिर माफी की आराजी को किसी निजी व्यक्ति की खातेदारी में कानूनन दर्ज नहीं किया जा सकता तथा इन्ही तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2019 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ० समित शर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर